तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 38/2024 बउनवान चुताराम बनाम किशनाराम वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

आदेश

दिनांक 01.08.2024

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री श्रवणकुमार चौधरी
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलांटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय में मूल दावा पेश किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। इस प्रकरण से पूर्व उतरदाता किशनाराम ने एक वाद व आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्हीं खसरों के संबंध मे मौका व रिकोर्ड की यथास्थिति पारित करने का आदेश दिनांक 26.11.2020 को प्राप्त किया था, जिसकी अपील उतरदाता ने दिनांक 14.12.2021 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की थी, तब माननीय न्यायालय द्वारा पुराने बिजली का कनेक्शन शिफ्ट करने हेतु उतरदाता का अनुमति प्रदार की थी। उक्त अनुमति प्रदान करने के पश्चात अपीलांट और उतरदातागण करीबन 13 व्यक्ति है, जो बार बार उपरोक्त 13 व्यक्तियों मे से अलग–अलग बंटवाड़े के दावे पेश कर उतरदातागण जो कि महिला है, उसे हैरान व परेशान करने व वादग्रस्त भूमि को छुड़वाने के उद्देश्य से विद्युत कनेक्शन जुड़वाने से वंचित कर रहे है। जबकि उतरदाता का पूर्व से डेरा बना हुआ है, जिस पर पुराना विद्युत कनेक्शन लगा हुआ है। उक्त पुराने बेरे में पानी कम पड़ने से नया बेरा बनाया है। जिस पर उतरदाता उक्त पुराने बेरे पर लगे विद्युत कनेक्शन को नये बेरे में शिफ्ट करवाना चाहती है। पानी व विद्युत कनेक्शन मूलभूल आवश्यकता है, जिससे किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश से रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन में पारित किया गया है। अतः रेस्पोडेंटस का आवेदन दिनांक 11.07.2024 को स्वीकार अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलांटगण के कब्जा काश्त में रेस्पोडेंटस द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2024 को निरस्त किया जाता है। हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2024 को मूल वाद के निस्तारण तक कंन्फर्म किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(अजीत सिंह सुरावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर